UPUN010002722026

न्यायालय Sp. Judge (E.C.Act) Court No. 4, Unnao.

पीठासीन अधिकारी– श्री रामराज–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06491

फौजदारी निगरानी सं0–10/2026,

श्रीमती कामना देवी उम्र करीब 35 साल पत्नी श्री रामबाबू निवासी ग्राम शोभा खेड़ा मजरे अमरसठ थाना अचलगंज जिला उन्नाव।

.....प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती।

बनाम

1– सरकार उ0प्र0 द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल उन्नाव।

2– राजू उम्र करीब 28 साल पुत्र सरजू निवासी ग्राम शोभा खेड़ा मजरे अमरसठ थाना अचलगंज जिला उन्नाव।

3– दीपक वर्मा उम्र बालिग पुत्र रामलाल वर्मा निवासी ग्राम शोभा खेड़ा मजरे अमरसठ थाना अचलगंज जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ती द्वारा धारा–438 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत न्यायालय सिविल जज एफ0टी0सी0 (सी0डि0), उन्नाव द्वारा पारित निरस्त आदेश दिनांकित–13.11.2025 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

2– पुनरीक्षण के संक्षेप में तथ्य यह है कि विपक्षी राजू ने अपनी भूमि सं0–577 क्षेत्रफल 0.6390हे0 स्थित ग्राम अमरसठ परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव में बदर 1/10 भाग का विक्रय करने का सौदा मुझ निगरानीकर्ता से तय करके बतौर बयाना 50,000/–रूपया प्राप्त कर रजिस्टर्ड इकरारनामा बही सं0–1 जिल्द सं0–18932 पृष्ठ 103 लगायत 118 दस्तावेज सं0–1013 दिनांक 18.01.2025 को सब रजिस्ट्रार उन्नाव में निष्पादित किया था उसके बाद विपक्षी राजू ने बेईमानी के उद्देश्य से प्रार्थिनी के हक में किये गये इकरारनामा की भूमि का बैनामा विपक्षी दीपक के हक में किये गये इकरारनामा की भूमि का

बैनामा विपक्षी दीपक के हक में दिनांक 20.03.2025 को कर दिया जो पूर्ण रूप से छल ठगी धोखा व विश्वासघात का अपराध है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती ने अवर न्यायालय में धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर अपराधी के विरूद्ध विवेचना करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु अवर न्यायालय द्वारा मामला सिविल प्रकृति का होने का उल्लेख कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का दोषपूर्ण आदेश पारित किया है इस कारण प्रस्तुत निगरानी दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी।

2– पुनरीक्षणकर्ती ने पुनरीक्षण का यह आधार लिया है कि निगरानी अन्दर मियाद है। उपर्युक्त मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध छल, ठगी, विश्वासघात व धोखा देने का अपराध प्रथम दृष्ट्या पूर्ण रूप से साबित है किन्तु अवर न्यायालय द्वारा उक्त मामले को आपराधिक कृत्य न मानकर सिविल प्रकृति का मामला होने का दोषपूर्ण आदेश पारित किया है जो हर हालात में निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि न्याय एवं इन्साफ के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। उपर्युक्त वाद में विपक्षी सं0–2 व 3 के द्वारा प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से ठगी, जालसाजी, धोखा एवं छल करने का अपराध कारित किया गया है जो पूर्णतया फौजदारी व आपराधिक कृत्य है जिसके सम्बन्धित में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाना व अभियुक्तगणो को दण्डित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। किन्तु अवर न्यायालय द्वारा अपराधी को दण्डित करने के बजाय अपराध को बढ़ावा देने वाला दोषपूर्ण आदेश पारित किया है जो विधि न्याय एवं कानून के सर्वथा विपरीत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.11.2025 निरस्त कर उपरोक्त निगरानी स्वीकार कर निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार कर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

3– उक्त फौजदारी वाद दर्ज किया। जिसमें आलोच्य आदेश दिनांक–13.11.2025 को विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) (एफ0टी0सी0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा पारित किया गया।

4– प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ती के द्वारा 7क/1 से आदेश दिनांकित–13.11.2025 की नकल की सत्य प्रतिलिपि व सूची 10ख/1 से फोटो

कापी धनराशि भुगतान विवरण दि0–16.01.2025 से दि0–13.02.2025 तक प्रस्तुत किया गया है।

5– विपक्षीगण द्वारा सूची 9ख/1 से सत्यप्रतिलि प्रश्नोत्तरी दिनांकित–12.12.2025 व छाया प्रति दाव प्रति श्रीमती कामना देवी बनाम राजू आदि प्रस्तुत किया गया है।

6– मैंने निगरानीकर्ती और विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना। पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक तथ्यों की त्रुटि की गई है व विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है?

8– निगरानीकर्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा (निगरानीकर्ता) व प्रत्यर्थी के बीच में प्रश्नगत भूमि को लेकर रजिस्टर्ड इकरानामा था प्रत्यर्थी अतिरिक्त पैसा लेने के लिये दबाव बनता रहा है जिस कारण उसे अतिरिक्त पैसा भी दिया गया है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत भूमि का बैनामा इकरारनामा की अवधि के दौरान ही उसे धोखा देते हुये अन्य को कर दिया गया है। अतः उसके द्वारा धोखाधड़ी एवं विश्वाघात व न्यायसभंग का अपराध किया गया है। जब कि प्रत्यर्थी की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामला सिविल प्रकृति का है। अतः उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं हुआ है।

9– अब देखना है कि किसके तर्को में कितना बल है?

10– वादिनी के द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी अभियुक्त राजू से भूमि सं0–577 क्षेत्रफल 0.639 स्थित ग्राम अरमसठ परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव को मु0– साठ हजार रूपये में खरीदने का सौदा तय करके पंजीकृत इकरारनामा समक्ष गवाहान निष्पादित कराया। प्रार्थिनी के इकरारनामा कराने के पूर्व मु0– पचास हजार रूपये अभियुक्त राजू को अदा कर दिया था तथा उसके बाद में राजू बैनामा कराने में हीला हवाली करने लगा और कहा कि अब उक्त जमीन को अन्य लोग डेढ़ लाख रूपये में खरीदने को तैयार हैं। प्रार्थिनी ने कहा कि अब हमारा पैसा फंस गया है तो हम डेढ़ लाख रूपये भी दे देंगे और प्रार्थिनी से राजू ने कई बार में मु0–1,59,000/–रूपये ले लिये,

उसके बाद भी बैनामा कराने में हीला हवाली करता चला आ रहा है। इसी दौरान प्रार्थिनी को पता चला कि उक्त राजू ने प्रार्थिनी के साथ विश्वासघात व धोखा देकर ठगी कर ली है तथा उक्त भूमि का बैनामा अभियुक्त सं0–2 से साजिश व सांठ गांठ करके दिनांक– 20.03.2025 को करा लिया है। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक उन्नाव व माननीय मुख्यमंत्री को जनसुनवाई के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष अचलगंज को प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर सम्यक विवेचना का आदेश देने की कृपा करें।

11– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी व प्रत्यर्थी सं0–1/अभियुक्त सं0–1 के बीच में भूमि सं0–577 रकबा 0.639हे0 में से 1/10 भाग का विक्रय होने हेतु पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित हुआ है। वादिनी के द्वारा सूची 10ख से विपक्षी राजू को दिया गया पैसा के बावत प्राप्ति की छाया प्रति भी संलग्न किया गया है। इस प्रकार से मामले में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि निगरानीकर्ता को बेचने हेतु विपक्षी सं0–1 राजू ने पैसा प्राप्त किया है। वादिनी के अनुसार उसने विपक्षी को 01 लाख 59 हजार रूपये दिया है, इसके बावजूद भी विपक्षी ने उक्त भूमि को वादिनी मुकदमा को न बेच कर अन्य व्यक्ति दीपक वर्मा को विक्रय कर दिया है। विपक्षी के द्वारा इकरारनामा में लिखे गये पैसे को प्राप्त तो किया ही गया साथ ही वादिनी पर दबाव बनाकर और पैसा भी ले लिया गया तथा भूमि का विक्रय उसे न कर अन्य को कर दिया गया। ऐसे में मामले में संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होना स्पष्ट है।

12– प्रार्थिनी/वादिनी के द्वारा धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 यह अपेक्षा करती है, यदि किसी प्रकरण में संज्ञेय अपराध बनना प्रकट होता है तथा पुलिस अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है तो ऐसा पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

13– प्रस्तुत प्रकरण में मजिस्ट्रेट के समक्ष वादिनी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित के साथ धोखाधड़ी हुई है। मामले में पक्षों के बीच में एक पंजीकृत दस्तावेज (इकरारनामा) विद्यमान रहा है। प्रत्यर्थी के द्वारा निगरानीकर्ती से पैसे भी प्राप्त किये गये है। इसके बावजूद भी दौरान इकरारनामा ही प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत भूमि को इकरारनामानुसार निगरानीकर्ती को बैनामा निष्पादित न कर

प्रत्यर्थी सं0–3 के पक्ष में बैनामा निष्पादित कर दिया है। परन्तु अवर न्यायालय/मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले में उक्त तथ्यों की अनदेखी की गई है तथा तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है।

14– प्रत्यर्थी के द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्थाः–

1– अरशद नेयाज़ खान बनाम झारखण्ड राज्य 2025 आई.एन.सी. 1151,

2– अरशद नेयाज़ खान बनाम झारख्यण्ड राज्य 2025 आई.एन.एस.सी. 1151,

3– सरीफ अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य (एस0सी0) ए.सी.आर. 369

4– शमशाद अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य एण्ड अदर्स {2024(127)ए. सी.सी.818}

प्रस्तुत किया गया है।

15– माननीय न्यायालय की प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्थओं का ससम्मान अध्ययन किया गया।

16– उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य हस्तगत मामले से पूरी तरह से भिन्न है, जिस कारण प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्थाओं से प्रत्यर्थी के कथनों को बल मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है।

17– अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक तथ्यों व प्रस्तुत हुये दस्तावेजों की अनदेखी की गई है तथा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

चूँकि प्रकरण में अवर न्यायालय द्वारा तथ्यों को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया गया है। जो तथ्य व प्रस्तुत हुये दस्तावेज (इकरारनामा) के विपरीत है। आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

आदेश

18– फौजदारी निगरानी सं0–10/2026 श्रीमती कामना देवी बनाम सरकार उ0प्र0 द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल उन्नाव व 02 अन्य स्वीकार किया जाता है।

19– अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–13.11.2025 अपास्त किया जाता है।

20– अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत

किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पुनः सुनवाई कर विधिपूर्ण आदेश पारित करे।

21– अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय वापस की जाये। फौजदारी निगरानी सं0–10 / 2026 की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.08.2026

(रामराज–II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4,
उन्नाव।

22– आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–06.08.2026

(रामराज–II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4,
उन्नाव।